

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग  
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक, 9 अगस्त, 2005

**संशोधन-अधिसूचना**

क्रमांक. 1945/म.प्र.वि.नि.आ./05- विद्युत अधिनियम 2003 ( क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 86(1)(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 3069-म.प्र.वि.नि.आ.-04 दिनांक 6.11.2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत क्रय एवं प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया) विनियम 2004 में निम्न संशोधन करता है ;

**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत क्रय एवं प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया)  
विनियम 2004 में संशोधन**

कथित विनियम में :

प्रारम्भिक वाक्य में, शब्द, "एवं 86(एक) (जी)" को विलोपित किया जावे।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव